क्रम संख्या–98

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बुधवार, 31 मार्च, 2010 ई0

चैत्र 10, 1932 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–9

संख्या 300/XXVII(9)/2010/स्टाम्प–55/2009

देहरादून, 31 मार्च, 2010

अधिसूचना

चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है;

अतः राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना संख्या–406/XXVII(9)/स्टाम्प–55/2009, दिनांक 15 जुलाई, 2009 में आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचना में निहित उद्देश्यों के लिये दिनांक 31–03–2011 की तारीख तक रुपये 5,00,000.00 मात्र (रुपये पांच लाख मात्र) तक के ऋण पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

एल0 एम0 पन्त,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 वित्त/212–2010–100+200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।